दिनांक–30.10.2010

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार विन्ध्याचल परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है–

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण–

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा–02 के अनुसार– उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते है जो पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उन्हे यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है। उनको अपने अधीनस्थ पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये और जिसके लिए तत्पर रहना चाहिये। उन्हें कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले के अधीक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा–03 के अनुसार– उप महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिए दायित्वाधीन है। उन्हें यह देखना चाहिये कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये हैं और जिलों का आपस में सहयोग प्रभावी है। इन उद्दश्यों के प्रयोजनार्थ उन्हें उप महानिरीक्षक के प्रारूप संख्या–138 के अधीन – 1. डकैती 2. हत्या 3. लूट 4. विष प्रयोग 5. प्रकीण मामलों का रजिस्टर रखना चाहिये। वह अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को पेश करेगें, जिसमें कि उनके रेंज से सम्बन्धित कोई भी ऐसा मामला होगा जिसे कि उनके विचार में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को सूचित करना चाहिये। प्रत्येक मामले कि संक्षिप्त विशिष्टियों को देखते हुए उन्हें डकैती के कथनों को संलग्न करना चाहिये । असामान्य मामलों में अपराध विशेष की रिपोर्ट को देखेगें। महानिरीक्षक के लिए जो भी मामलें आवश्यक प्रकृति के हों तथा जिसमें सरकार को तुरन्त सूचना अपेक्षित हो, जैसे गम्भीर , शान्ति भंग, यूरोप और भारतीयों के मध्य टकराव तथा राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण विषयों को पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षकों द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को सूचना तत्काल दी जायेगी किन्तु यथा सम्भव महानिरीक्षक वह माध्यम होंगे जिसके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) सूचना प्राप्त करेगें। जिले के पुलिस प्रशासन को वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात पुलिस महानिरीक्षक को अपने सम्पूर्ण परिक्षेत्र के लिए समस्त विषयों पर टिप्पणी सहित जिनका उल्लेख किया जाना अपेक्षित है एक पुर्नविलोकन रिपोर्ट तैयार करके पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) को भेजी जायेगी।

पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामंजस्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका वह समय–समय पर निरीक्षण करेगें। इसके अतिरिक्त वह परिचित प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों से सम्पर्क में रहेगें तथा उन्हें प्रयोग के तौर पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अंगीकृत करेगें।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन–

विन्ध्याचल परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्न प्रकार से है-

उप महानिरीक्षक	पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी
पुलिस उप महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर	पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर
	पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र
	पुलिस अधीक्षक जनपद सं0र0न0भदोही

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण-

क्र.सं.	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1	सहायक रेडियो अधिकारी	परिक्षेत्र में संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना व अधीनस्थों पर नियन्त्रण बनाये रखना	उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर
2	वाराणसी परिक्षेत्र एवं विन्ध्याचल परिक्षेत्र का कार्य अवर अभियन्ता, वाराणसी परिक्षेत्र,वाराणसी द्वारा देखा जा रहा है।	भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव के प्रस्ताव तैयार करना तथा तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना	पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल, परिक्षेत्र, मीरजापुर

2. पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तियां एवं कर्तव्य-

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है-

2.1 पुलिस अधिनियम-

धारा	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तिया एवं दायित्व
7	संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये जायं, अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षकगण एवं सहायक महानिरीक्षकगण और जिला पुलिस अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलम्बित या अवनत कर सकते हैं, जिसें वे अपने कर्तव्य के निर्वहन मे शिथिल व उपेक्षावान पायें या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जायें या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या सेवकगण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है।

2.2 पुलिस रेगुलेशन-

प्रस्तर	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तियां एवं दायित्व
391	परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अस्थायी रूप से अपने एक जिले के पुलिस बल को अन्य जिलों के निरीक्षक के ऊपर की पंक्ति के न होने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाकर डकैती के विरूद्ध अभियान चलाने या मेले जैसे प्रयोजनों के लिए वृद्धि करने के

	लिए सक्षम हैं। अतिरिक्त पुलिस के लिए पुलिस अधीक्षक को परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक मेला व समारोहों के लिए नियतकालिक अपेक्षाओं के लिए जिनके लिए साधारणतया भारी संख्या में बलों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त समय से सूचना दी जानी चाहिए।
434	निरीक्षकों की पदोन्नति वेतनवृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा विनियमित होती है। मूल नियम 25 के अधीन दक्षता अवरोध से परे वृद्धियों की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी उपमहानिरीक्षक हैं। वार्षिक वृद्धियों के रोकने का आदेश मूल नियम 24 के अधीन अधीक्षक द्वारा दिया जा सकेगा।
435	रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति के प्रशिक्षण के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति किये गये उपनिरीक्षकों का प्रथमत: परीक्षण तथा साक्षात्कार उनके उप महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
439(1)	अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरे के अनुक्रम में परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगें कि सभी उपनिरीक्षकों में जो निरीक्षक पद पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किये गये हैं, वर्ष के दौरान किस रीति से कार्य किया है तथा उनकी सामान्य ख्याति क्या है ? उस जिले से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक से पूछताछ करते हुए उनसे उन थानों का निरीक्षण करते हुए जहां वे तैनात हों, जब सम्भव हो व्यक्तिगत साक्षात्कार करके कदम उठायेगें। प्रत्येक रेंज के उप महानिरीक्षक प्रत्येक अधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपनी राय अभिलिखित करेगें कि क्या वह इस बात की संस्तुति करते हैं कि उसका नाम अनुमोदित सूची में बना रहे या उसे हटा दिया जाय।
439(4)	जब कभी उप महानिरीक्षक अनुमोदित सूची से किसी भी नाम को हटाने की सिफारिश करें तो प्रश्नगत अधिकारी की पदोन्नति पर तब तक विचार न किया जाय, जब तक समिति न बुंलायी जाय तथा सिफारिश पर कोई कार्यवाही करने का निर्णय न लें।
442	जब किसी अधिकारी की प्रोन्नति के लिए उप महानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित हो तो उस अधिकारी तथा किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसका अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, चरित्र पत्रावलियां, अधिक्रमण का कारण देते हुए टीपों सहित उपमहानिरीक्षक के पास भेजी जायेगी।
445	उ0नि0 सिविल पुलिस पाठयक्रम में प्रवेशार्थ आरक्षियों तथा मुख्य आरक्षियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षायें सभी जिलों में एक पूर्व निर्धारित तिथि को मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध के अधीन संचालित की जाती है। उत्तर पुस्तिकायें सम्बन्धित पुलिस उप महानिरीक्षकों को अग्रसित की जाती है, जो उनकी जांच तीन पुलिस अधीक्षकों के एक बोर्ड से करायेगें। तदोपरान्त एक बोर्ड जो परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक द्वारा नामजद पी0ए0सी0 के एक कमाण्डेन्ट व सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक से गठित होगा, प्रत्येक जिले का दौरा करके उन सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों की समीक्षा करेगें जो परीक्षा में अर्ह हुए हैं। इस आशय से अभ्यर्थियों की सामान्य ड्रिल व शारीरिक परीक्षण की परीक्षा भी की जायेगी। इस प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा, चरित्र पंजी की समीक्षा तथा शारीरिक परीक्षा के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थी अन्तिम चयन हेतु परिक्षेत्र के नामजद व्यक्ति माने जाते हैं। परिक्षेत्र के नामित अभ्यर्थियों की लिखित

	परीक्षा केन्द्रीय रूप से तैयार किये गये प्रश्नपत्रों के आधार पर होती है, जिनका मूल्यांकन पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षकों का बोर्ड गठित करके कराया जाता है।
449	सवार पुलिस के सिवाय मुख्य आरक्षियों के पद पर प्रोन्नतियां उप महानिरीक्षक के सामान्य नियन्त्रण के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
464	पारितोषिक में प्राप्त अनुदान प्रान्तीय होता है किन्तु रिजर्व के लिए उपबन्ध कर दिये जाने के पश्चात यह उपमहानिरीक्षक द्वारा विभाजित जो कि विशेष मामलों में बड़े इनामों में देने के लिए धन रक्षित रखते हुए जिलों और अनुभागों में उसे आवंटित कर देते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक बचत पारितोषिक का पुर्नवियोजन करने के लिए प्राधिकृत है।
465	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं दोष सिद्धि हेतु 15000/- रूपये की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।
479(ग)	पुलिस उप महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ अस्थायी तथा स्थायी निरीक्षकों की पंक्ति के तथा उसके नीचे के पंक्ति के सभी अधिकारियों को दण्डित कर सकेगें।
490(9)	ऐसे सभी मामलों में, जिसमें पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक या उप निरीक्षक की पदच्युति या उसके सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताव करें, उस मामले को अन्तिम आदेश हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उप महानिरीक्षक को अग्रेसित करेगें।
500(ख)	यदि अधिकारी जिसके आचरण की निन्दा की गयी है, पुलिस अधीक्षक स्तर का हो तो जांच रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।
508(ग)	पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध वेतन या प्रोन्नति रोकने का कोई आदेश अध्याय 30 के अधीन पारित किया गया है, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का आदेश प्राप्त है यदि वह आदेश पुलिस अधीक्षक का हो। यह अपील आदेश की प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर होनी चाहिए ।
520(5)	पुलिस उप महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अन्दर किसी भी अराजपत्रित प्राधिकारी का स्थानान्तरण कर सकते हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक सभी निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और आरक्षियों को अपने सम्भाग में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
525	पुलिस उप महानिरीक्षक सिविल पुलिस के उन आरक्षियों की जिनकी, सेवा 02 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की हो अथवा सशस्त्र पुलिस बल के आरक्षियों की जिनकी सेवा 02 वर्ष से कम की न हो बल की किसी भी शाखा में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
537	उप महानिरीक्षक अलग-अलग मामलों में परिवीक्षाधीन किसी अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि को 01 वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए विस्तार कर सकेगें।

2.3 दण्ड प्रकिया संहिता –

धारा	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तिया एवं दायित्व
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शक्तियों को प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

2.4 उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991–

धारा	पुलिस उप महानिरीक्षक की शक्तिया एवं दायित्व
20(1)	ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके विरूद्ध नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (3) और खण्ड ख के उपखण्ड (1) से (4) में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाय तो ऐसे दण्ड के आदेश के विरूद्ध उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र को अपील कर सकता है। यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो।

2.5 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय–समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य–

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय–समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर पर समय–समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी उप महानिरीक्षक को दिशा–निर्देश प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर उनके द्वारा अपेक्षित कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

2.6 पुलिस उप महानिरीक्षक के अपेक्षित कर्तव्य–

1. अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करना।
2. अपने कार्यक्षेत्र में अपराधों की रोकथाम तथा उस पर नियन्त्रण और अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों एवं संगठित गिरोहों के विरूद्ध डेटावेस तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. अपने कार्यक्षेत्र में घटित समस्त स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की विवेचनाओं की गहन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण घटनास्थलों का निरीक्षण करना।
4. अपने कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना एवं अधीनस्थ अधिकारियों का मार्ग दर्शन करना।
5. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों की आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं का अद्यावधिक कराकर उन पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6. उन आन्दोलनों, जिसमें शान्ति भंग हो अथवा भंग होने की आशंका हो, के विषय में कार्य प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
7. समाज के दलित व दुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
8. सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुनने व उनपर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु उपलब्ध रहना। किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपालन के कारण किसी जिम्मेदार अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करना।

9. अपने कार्य क्षेत्र में व्यापक भ्रमण करना एवं समय-समय पर संवेदनशील स्थानों पर जनता की समस्याओं को सुनने एवं उनके निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं विशेष अपराधों की समीक्षा हेतु रात्रि हाल्ट करना।

10. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन्स आदि का स्थायी आदेशों के अनुसार निरीक्षण करना।

11. पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखना तथा उसमें सुधार लाना।

12. नियन्त्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याण की ओर उपर्युक्त ध्यान देना।

13. शासन एवं पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित सभी प्रशासनीय एवं वित्तीय दायित्वों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना।

14. ऐसे अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा सौपे जायें उनका निर्वहन करना।

15. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों जनता के प्रति व्यवहार में आशातीत सुधार लाना।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु केस में दिये गये प्रत्येक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवाना तथा प्रत्येक आकस्मिक निरीक्षण में जो क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा स्वयं द्वारा दिये जाय, में अनुपालन सम्बन्धी निरीक्षण नोट अंकित करना।

17. उपलब्ध पी0ए0सी0 का आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के जनपदों को अस्थायी आवटंन ।

18. परिक्षेत्र के किसी जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के अन्य जनपदों से पुलिस बल उपलब्ध कराना।

19. अपराध नियन्त्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य व अन्य परिक्षेत्रों से परस्पर समन्वय बनाये रखना।

20. पुलिस मुख्यालय से कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य उपर्युक्त आवटंन।

21. जनपदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन।

22. परिक्षेत्रीय पुलिस बल का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति सम्बन्धी कार्य।

23. शासन व पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के निर्देशों का जनपदों में अनुपालन सुनिश्चित कराना।

24- नक्सल प्रभावित जनपदों में नक्सली गतिविधियों की रोक थाम हेतु समय-समय पर काम्बिंग,एम्बुस/व्यापक भ्रमण कराकर शान्ति एवं कानून-व्यवव्स्था कायम रखने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाना।

2.7 पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जनपदों के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण-

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम- पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक द्वितीय- आंकिक शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक तृतीय- पुलिस लाइन्स	वार्षिक (जनवरी-मार्च)

शीर्षक चर्तर्थ- अभियोजन शाखा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक पंचम- अपराध	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम- जनपद का सामान्य पुलिस प्रशासन	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-1 जनपदों में नियुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में टिप्पणी	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-2 जनपदों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, शिकायतो का निस्तारण	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-3 अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षणों की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम-4 अधिकारियों के दौरों की समीक्षा	वार्षिक (जनवरी-मार्च)
शीर्षक षष्टम- 5 थानाध्यक्षों की मीटिंग	वर्ष में दो बार (जनवरी-जून) (जुलाई-दिसम्बर)
शीर्षक षष्टम- 6 जनप्रतिनिधियों से भेंट	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम- 7 पुलिस पेंशनर्स बोर्ड	वार्षिक वर्ष में एक ही मीटिंग होगी जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रभारी उपस्थित होगे।
शीर्षक सप्तम- भवन	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम- 1 महिला प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-2 विशेष जांच प्रकोष्ठ	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-3 जनपद अपराध अभिलेख व्यूरो	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-4 फील्ड यूनिट जनपद	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम-5(अ) जिला नियन्त्रण कक्ष	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम- 5(ब) नगर नियन्त्रण कक्ष	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक नवम्- स्थानीय अभिसूचना इकाई	वार्षिक (अप्रैल/अक्टूबर)
शीर्षक दशम्- थानों का निरीक्षण	जनवरी से जून- 02 थाने जुलाई से दिसम्बर- 02 थाने

3. निर्णय लेने की प्रकिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 शिकायतो के निस्तारण की प्रकिया

3. 1(1) पुलिस उप महानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रकिया–

क्र. सं.	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	अविलम्ब
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 दिवस में
3	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
4	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
5	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उप महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
6	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अन्तिम आदेश करना	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
7	प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 दिवस में
8	जांच रिपोर्ट का रख रखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 वर्ष तक

3. 1(2) पुलिस उपमहानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण की प्रकिया

क्र. सं.	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय के गोपनीय सहायक द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	गोपनीय सहायक द्वारा	अविलम्ब
2	गोपनीय सहायक द्वारा लिफाफे को खोला जाना	गोपनीय सहायक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर व सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	अविलम्ब
5	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
6	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	15 दिवस में
7	सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
8	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अन्तिम आदेश करना	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
9	प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 दिवस में
10	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा	01 वर्ष तक

3. 1(2) परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षण

पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय में सम्बन्धित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस में
पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना	वाचक/ पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	01 दिवस में
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	10 दिवस में
क्रमागत आख्या का प्राप्त होना	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	प्रथम आख्या 10 दिवस में शेष 01

		माह के अन्तराल में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों को प्रेषित किया जाना	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	07 दिवस में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का निराकरण	सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	15 दिवस में
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त पत्रावली बन्द किया जाना	पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा	समय से

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्ड

4.1 परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क.सं.	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस में
2	पुलिस उप महानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस में

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये अधिकारों
का पूर्ण सम्मान करना।

2. बिना किसी भय, पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।

3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियन्त्रण रखना।

4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने-बुझाने
का प्रयास, यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।

5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।

6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जन साधारण का ही अंग हैं तथा वे वही कर्तव्य कर रहे
हैं जिनकी विधान में सामान्य नागरिकों से अपेक्षा की गयी है।

7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग
पर आधारित है।

8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।

9. प्रत्येक पुलिस जन को विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।

10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।

11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।

12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।

13. सर्व धर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द्र व भाई
चारे की भावना जागृत करने हेतु सत्त प्रयत्नशील रहना।

14. नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात/कार्यरत प्रत्येक पुलिस जन को विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।

5 कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख–

क्र. सं.	अधिनियम, नियम, रेगुलेशन का नाम
1	पुलिस अधिनियम 1861
2	भारतीय दण्ड संहिता 1861
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4	उत्तर प्रदेश रेगुलेशन 1861
5	उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल
6	साक्ष्य अधिनियम 1872
7	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
8	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
9	वित्तीय हस्त पुस्तिका
10	समय-समय पर निर्गत शासनादेश
11	उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्यप्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी–

पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैं:–

1. सेवा सम्बन्धी अभिलेख।
2. विशेष अपराध पत्रावलियां।
3. कानून व्यवस्था एवं आपराधिक स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियां।
4. वेतन–भत्ते आकस्मिकता निधि एवं बजट सम्बन्धी अभिलेख।
5. शिकायत निस्तारण सम्बन्धी अभिलेख।
6. गार्ड फाईल।
7. भवन मरम्मत सम्बन्धी अभिलेख।
8. परिक्षेत्र में पी0ए0सी0 आवटंन सम्बन्धी अभिलेख।
9. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख।

7. जनता की परामर्श दात्री समितियां जो संगठन में अर्न्तनिहित है

शून्य

8. बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिए मौजूद हैं

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

पुलिस उप महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन/मोबाइल नं0–

क्र0 सं0	पदनाम अधिकारीगण	आवास नं0	कार्यालय नं0	सी0यू0जी0 नं0	मोबाइल नं0
1	पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर	05442–256366	05442–257401फैक्स नं0–257401	945440015	–
2	कार्यालय नं0	–	–	9454402591	–
4	गोपनीय सहायक	–	–	–	–
5	प्रधान लिपिक	–	–	–	–
6	जन सम्पर्क अधिकारी	–	–	–	9415378792
7	वाचक पुलिस उप	–	–	–	9532111898

	महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर				

टिप्पणी–सी0यू0जी0 मोबाइल नं0 राजपत्रित अधिकारियों के पदनाम से आवंटित है जो यथावत रहेगा। कार्यालय का सी0यू0जी0 मोबाइल नं0 पदनाम से आवंटित है जो यथावत रहेगा।

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र.सं.	पद	वेतनमान	मूल वेतन
1	पुलिस उप महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र	37400–67000 व ग्रेड पे–8900	57750
2	गोपनीय सहायक	9300–34800 व ग्रेड पे–4600	24140
3	प्रधान लिपिक	9300–34800 व ग्रेड पे–4600	24140
4	एस0आई0(एम0)	9300–34800 व ग्रेड पे–4200	18650

11. बजट–

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2010–11	
		अनुदान	व्यय
1	वेतन, मंहगाई एवं अन्य भत्ते	2113000	1827792
2	कार्यालय व्यय	54000	45453
3	यात्रा भत्ता	26000	8430
4	फर्नीचर का क्रय एवं मरमम्त	8000	7945
5	अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय	–	–
6	विद्युत/प्रकाश व्यय	45000	45000
7	डाक तार पर व्यय	–	–
8	टेलीफोन का व्यय	84000	61217
9	स्टेशनरी का क्रय	3000	2990
10	कम्प्यूटर अनुरक्षण	3000	2850
11	चिकित्सा व्यय	25667	25667

12. सबसिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग–

वर्तमान में विभाग में कोई उत्पादन कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें–

क्र. सं.	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस उप महानिरीक्षक/वाचक, पुलिस उपमहानिरीक्षक	प्रात: 10.00 बजे से 17.00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बत 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रा के सम्बन्ध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रूपया प्रथम घंटा के पश्चात 5 रू0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली धनराशि का विवरण (10 रू0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को नि:शुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

नोट– समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रूपया से अनधिक) भी देय होगा।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण–

शून्य।

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना–

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम–

पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति न्मिनलिखित प्रकार से की गयी है–

क. सं.	राज्य जन सूचना अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी का पद	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी का पद	अपीलीय अधिकारी का पद
1	पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर	वाचक, पुलिस उप महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र , मीरजापुर	अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0

टिप्पणी–सी.यू.जी. मोबाइल नम्बर राजपत्रित अधिकारियों के पद नाम से आवंटित हैं।

17. अन्य कोई विहित सूचना–

शून्य।